

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
सचिवालय समन्वय अनुभाग / Secretariat Coordination Section

अणुशक्ति भवन / Anushakti Bhavan,
छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग / C.S.M. Marg,
मुंबई / Mumbai - 400 001
इ-मेल / Email: sectcord@dae.gov.in

No.GF/164-SCS/ 16832

Dated: 20.12.2016.


पृष्ठांकन/ENDORSEMENT

विषय /: Implementation of Government's decision on the
Subject: recommendations of the Seventh Central Pay
Commission - Revision of disability pension of pre-2016
disability pensioners - clarification regarding.

उपरोक्त विषय पर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 11-11-2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/2016-P&PW(F) की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of Office Memorandum No.1/4/2016-P&PW(F) dated 11-11-2016 received from Department of Pension and Pensioners' Welfare, New Delhi on the above mentioned subject is forwarded for information and necessary action.

संलग्न : यथोपरि / Encl.: As above


(न. ज. खानविलकर / N. J. Khanvilkar)
अनुभाग अधिकारी / Section Officer
(022 - 22862661)

- 1) पऊवि के सभी संघटक इकाईयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासनिक प्रधान / All Administrative Heads of Constituent Units/PSUs of DAE.
- 2) सभी सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रशासनिक प्रधान - 7 वे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की स्वीकृति एवं वित्त मंत्रालय द्वारा सभी सहायता प्राप्त संस्थानों पर कार्यान्वित होने के आदेशों के जारी होने के पश्चात ही यह आदेश उन पर लागू किया जाए। All Aided Institutions of DAE - The above order may be implemented in All Aided Institutions only after acceptance of 7th CPC report and orders issued for implementation of the same by Ministry of Finance in respect of Aided Institutions.

प्रतिलिपि / Copy also to:

पऊवि के सभी अधिकारी एवं अनुभाग / All Officers & Sections in DAE Secretariat.
सचिव, स्टाफ साइड, पऊवि विभागीय परिषद् / Secretary, Staff Side, DAE Departmental Council.
गार्ड फाइल संख्या / Guard File No. 164

No. 1/4/2016-P&PW(F)
Government of India
Department of Pension and Pensioners' Welfare
(Desk-F)

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi,
Dated the 11th November, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Implementation of Government's decision on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission - - Revision of disability pension of pre-2016 disability pensioners - clarification regarding.

The undersigned is directed to say that in pursuance of Government's decision on the recommendations of Seventh Central Pay Commission, orders have been issued for revision of pension and disability pension of pre 2016 pensioners/disability pensioners, vide this Department's OM No. 38/37/2016-P&PW(A)(ii) dated 4.8.2016. As per para 4.1. of the OM dated 4.8.2016, the existing pension/family pension is to be multiplied by 2.57 and the amount of revised pension/family pension so arrived at shall be rounded off to the next higher rupee. As per para 4.4. of the OM, it was indicated that the upper ceiling of pension and family pension will be 50% and 30% respectively of the highest pay in the Government, i.e. Rs.2,50,000/-

2. A doubt has been raised whether the above ceiling would also be applicable to disability pension/family pension under CCS(EOP)Rules. Pension/family pension under CCS(Pension)Rules is calculated @50%/30%of the last pay drawn or average emoluments for last 10 months, whichever is more beneficial to the pensioner/family pensioner. Disability pension and family pension, under CCS(EOP)Rules is more than 50%/30%of last pay/average emoluments on account of the disability element. Therefore, it is clarified that the ceiling of pension/family pension indicated in para 4.4 of Department of Pension and Pensioners Welfare OM dated 04.08.2016 referred to above is applicable only in the case of pension/family pension under CCS(Pension) Rules and will not apply in the case of disability pension/family pension under CCS(EOP) Rules.


(Sujasha Choudhury)
Director
Tel: 24635979

To

All Ministry/Department of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to: President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Supreme Court of India, C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

4.	Secretary, Department of Atomic Energy Anushakti Bhawan, CSM Marg Mumbai-400001
----	--

सं. 1/4/2016-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)

भारत सरकार

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क - एफ)

तृतीय तल, लोक नायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली


दिनांक 11 नवंबर, 2016

कार्यालय जापन

विषय : सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन - 2016 से पूर्व के निःशक्तता पेंशनभोगियों की निःशक्तता पेंशन में संशोधन पर स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में इस विभाग के दिनांक 4.8.2016 के कार्यालय जापन सं. 38/37/2016-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) (ii) द्वारा 2016 से पूर्व के निःशक्तता पेंशनभोगियों की निःशक्तता पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए थे। दिनांक 4.8.2016 के उपर्युक्त कार्यालय जापन के पैरा 4.1 के अनुसार, मौजूदा पेंशन/कुटुंब पेंशन को 2.57 से गुणा किया जाए और तदनुसार प्राप्त संशोधित पेंशन की धनराशि को अगले पूर्ण रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। कार्यालय जापन के पैरा 4.4 में यह उल्लेख किया गया है कि पेंशन और कुटुंब पेंशन की अधिकतम सीमा क्रमशः सरकार में अधिकतम वेतन अर्थात् 2,50,000/- रुपए का 50% और 30% होगी।

2. यह संदेह व्यक्त किया गया है कि क्या उक्त अधिकतम सीमा केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत निःशक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन पर भी लागू होगी। केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत निःशक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन गणना, अंतिम आहरित वेतन या पिछले 10 महीनों की औसत प्राप्तियों के क्रमशः 50% और 30% की दर से, जो भी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के लिए लाभदायक हो, के आधार पर की जाती है। निःशक्तता घटक के कारण केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत निःशक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन, अंतिम आहरित वेतन या औसत प्राप्तियों के क्रमशः 50% और 30% से अधिक होती है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 4.8.2016 के कार्यालय जापन के पैरा 4.4 में उल्लिखित पेंशन और कुटुंब पेंशन की अधिकतम सीमा, केवल केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के अंतर्गत पेंशन/कुटुंब पेंशन के मामले में लागू होगी, और केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत निःशक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन के मामले में लागू नहीं होगी।



(सुजाशा चौधरी)

निदेशक

दूरभाष: 24635979

सेवा में

मानक परिचालन सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि: राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।